

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राशिव/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

लखनऊ दिनांक: 15-5-2019

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अंकित भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा रैखिक सत्र 2019-20 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद (उपरो) लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को अध्यक्ष प्राविधिक शिक्षा परिषद, उपरो लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश बनना वृद्धि/कमी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मंत्र-2 में डिप्लोमा इन इंगीन पाठ्यक्रम समाहित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्था का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा मान्य विचार-विमर्श एवं निम्नवत् निर्णय किया गया -

“ संलग्नक-1 में अंकित तकनीकी पाठ्यक्रमों से संबंधित डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से संलग्नक-1 में अंकित विवरण के अनुसार संस्थाओं को सत्र 2019-20 हेतु निहित सम्बद्धता सर्तों के अधीन यथावत् प्राविधिक शिक्षा परिषद, उपरो लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया।”

अतः निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की सम्बद्धता समिति द्वारा दिये गये निर्णय के अन्तर्गत पर प्राविधिक शिक्षा परिषद, उपरो लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नांकित सर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश अंशित प्रवेश बनना हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	एनआईटीसी/डीआई/पीसीआई/एनआईटीसी द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1.	2732	आर एन सी कलेज, काशी/उत्तर प्रदेश	डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एवं कंप्यूटर इंगीन इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रिकल इंगीन सिविल इंगीन	80 80 80 80 80	80 80 80 80 80

सम्बद्धता हेतु सर्तें

- ✓ संस्था एनआईटीसी/डीआई/पीसीआई द्वारा निर्धारित की गयी सर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982 तथा अन्य विहित विधियों एवं व्यवहारां का अनुपालन करेगी तथा पुस्तक निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क वित्त सही ढंग से देगी। पाठ्यक्रमों हेतु एक 30,000.00/- प्रतिवर्ष की वार्षिक धारणीय पाठ्यक्रम हेतु एक 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक धारणीय पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु एक 22,000.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्राथमिक धारण/धारण से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त की अतिरिक्त धारण/धारणों से पुस्तक के सामग्री में समग्र-समग्र पर धारण द्वारा निर्गत किये जाने वाले सामान्यतः प्रयुक्त होंगे, और लघुतरास सामग्री की शिक्षा के लिए आवश्यक होगा। जोस निर्धारण समिति द्वारा वृद्धि सत्र 2019-20 हेतु प्रीत का पुनर्निर्माण किया जाता है, तो प्रीत की नवीनता पर धारण होगी।
- ✓ संस्था को (उपरो) प्राविधिक शिक्षा समिति/पीसीआई एवं अन्य अधिकार संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाने, विनियमवली-2000 की सर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित प्रवेश को ही प्रवेश दिया जाएगा; सर्तों की शिक्षा पर जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की आवश्यकता की जाएगी।
- ✓ संस्था को समग्र-समग्र पर निर्गत सामान्यतः अनुसार निर्धारण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

- ✓ संस्था को एउआईसीटीआई से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था परतार प्रदेश कायदा प्रत्यावे एवं विधि/विद्यार्थी/अभिनियमों/हासनादेशों/निदेशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उच्चतर, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्चतर तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उच्चतर एवं निम्न, विनियमों, जादेशों, निदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम को संस्थाएं यदि पी.सी.आई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संबंध में समस्त उच्चतरप्राथित्य संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही को लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशात्मक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उच्चतर प्रदेश शासन को कोई बाद बाधर किया जाता है संस्था द्वारा बाद को स्वयं ने सा. न्यायपालिका द्वारा किसी प्रकार की प्रतिभूति संबंधी जादेश निर्गत किया जाता है तो परमना प्रतिभूति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उच्चतर प्रदेश उच्चतर उच्चतर उच्चतर वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु कक्षात्तरित प्रारंभ होने के पूर्व पी.सी.आई.टी. से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कार्यन्तित) के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उच्चतर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आख्यान नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक प्रतिक्रिया, स्टाफ, साध-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला बुल्ड, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त साधन उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाया जाने हेतु निरवकाश शक्ति के समस्त उपलब्ध कराये गये अभिलेख, नृति-कल्प, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपलब्धता का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था को सम्बन्धित समाप्त होने जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ सम्बन्धित कार्य का अनुपालन न होने जाने ज्ञाता, कार्य का उत्तरदायित्व किसे प्रदान की शक्ति में नियमानुसार अनुपालन के कर्तव्य की जायेगी।

(सज्जित कुमार सिंह)
साक्षर

पू.सं०- प्राशिव/परिषद सम्बद्धता/2019/1133-2252

तद् दिनांक: 15-5-2019

प्रतिनिधि:- प्रधानाचार्य/निदेशक, आ० एम्. डी० सखेली, पालीटोकिना, लखनऊ।


(सज्जित कुमार सिंह)
साक्षर

- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राथमिक शिक्षा समितियों तथा एवं समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमान्तर्गत-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में स्वीकृत प्रदेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों का ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्मित सामान्य/उच्चतर शिक्षण एवं सम्बद्धता सुकृत बना करना होगा।
- ✓ संस्था को एफआई/सीआई/सीई/पीसीआई/सीई से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं शिक्षण, प्राथमिक शिक्षा, उच्चतर शिक्षण और परीक्षा परिषद, उच्चतर प्राथमिक शिक्षा परिषद, उच्चतर प्राथमिक शिक्षा परिषद, निदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ विद्यालय इन फार्मों पर पाठ्यक्रम को संस्थाएं यदि पीसीआई, गैर दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती हैं तो इस संस्था में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही को लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, सचिवस प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई भी दावा किया जाना है तथा दावा पर उसे संस्था से या न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है जो समस्त प्रतिभूति संबंधित संस्था को कटौती होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मों पर पाठ्यक्रम संशोधित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश स्वीकृत द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यालय में प्राप्त होने से पूर्व पीसीआई/सीई से अनुमोदन प्राप्त कर अधिकार न्यायालय को उपलब्ध कराया होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कार्यालय/विधि) के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रवेश हेतु निर्मित नवीनतम अध्यापन नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठिका, उपाय, साज-सज्जा, उपकरण, प्रायः विना जाने वाला सुकृत, छात्रावास सुकृत आदि का विवरण उपलब्ध करवाया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त प्राशिक्षण उपलब्ध कराने के लिये विना बोझों के लक्ष्य में संयुक्त कार्यवाही आवश्यकता सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रस्तावित/संशोधित पाठ्यक्रम को सतत रूप से सुनिश्चित समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अमिलेख, मुद्रित-मन, फर्मावर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम में सुचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो उत्तर प्रदेश संस्था को सम्बद्धता समाप्त किया जाना ही अनुमोदन की जाएगी।
- ✓ सामान्य शर्तों का अनुपालन न किया जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में विद्यालय/उच्चतर अनुसंधानात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(मानन्द कुमार अग्रवाल)
सचिव/सू. शा. उ.

पू.सं. प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972-3141

तददिनांक: 15-09-2020

प्रतिलिपि-प्रधानाचार्य/निदेशक, 220 एम.सी.सी. सश्रीभा भारतीयकिन्नर, लखनऊ।

(मानन्द कुमार अग्रवाल)
सचिव/सू. शा. उ.

**कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथम/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक: 15-9-2020

-कार्यालय द्वारा-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मो कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सन् 2020-21 हेतु विद्यार्थी सार्वजनिक तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-08-2020 को उच्च प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ की आस्था में प्रेषित कागजात में त्रुटि संशोधन हुआ। बैठक में समिति द्वारा सन् 2020-21 हेतु आर्गनाइज्ड स्कूलों की सम्बद्धता/पूर्व से समाहित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/साथ-साथ/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य बातों पर विचार-विचार हुए सन् 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के नम-2 में सिफारिश इन इच्छा पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विचार एवं विस्तार निर्णय लिया गया -

"निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम संचालित करने वाली विद्यार्थी सार्वजनिक तकनीकी शिक्षा संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, में एओआईसीटीआईई द्वारा सन् 2020-21 हेतु अभाव अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में एओआईसीटीआईई द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्बद्ध अधिक पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सन् 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विचार किया गया एवं एओआईसीटीआईई द्वारा सन् 2020-21 हेतु प्रत्येक अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में परिषद से सन् 2020-21 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को अखिल सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये संशोधन निर्णय के अनुक्रम में विभिन्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सन् 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन सम्बद्धता एवं उक्तमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	एओआईसीटीआईई/द्वारा सन् 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सन् 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	2232	ओ एनटीओ फार्मो कार्पोरेशन लखनऊ	डिप्लोमा इंजीनियरिंग मेकैनिक्स इंजीनियरिंग प्रो डिप्लोमा साइंस एण्ड इंजीनियरिंग इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी एण्ड कम्प्युटेशनल इंजीनियरिंग	80 80 80 80 80	80 80 80 80 80

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एओआईसीटीआईई/एओआईसीटीआईई द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट, 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमनाली 1982 (नोस्ट्रॉप विनियमनाली)-2018 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण राशियों द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों के लिए पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,150.00/- प्रतिवर्ष (दो वर्षों फार्मो कार्पोरेशन पाठ्यक्रम हेतु रु० 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षों पाठ्यक्रमों (दो वर्षों फार्मो कार्पोरेशन पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर वादान द्वारा निर्णय किये जाने वाले कागजातों/प्रणाली होने की वदनुसार कार्यवाही किया जाकर आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा सन् 2020-21 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।

(Handwritten Signature)

कार्यालय,**सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय न्याप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2732-DR. M.C.SAXENA POLYTECHNIC, LUCKNOW

क्र0सं0	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/ पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60
2	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	60	60
3	INFORMATION TECHNOLOGY	60	60
4	CIVIL ENGINEERING	60	60
5	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी0 पाठ्यक्रमों हेतु रु0 30160.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु0-

45000 00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500 00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।

- ✓ संस्था को (30प्र0 प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद् द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, 30प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, 30प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद्, 30प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी सी आई नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद्, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद् कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का वितरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-अवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद् को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, अवन, पर्योगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/परिषद् के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार

01/08/2021

अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पू0सं0- प्राशिप/परिषद् सन्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक DR. M.C.SAXENA POLYTECHNIC, LUCKNOW



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव